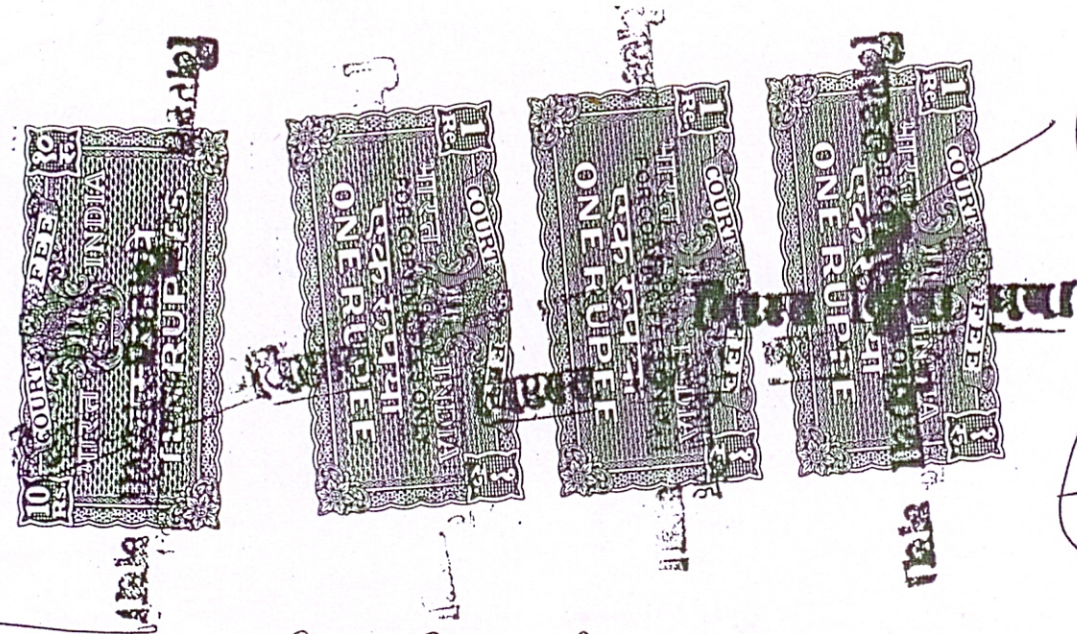

4
13-07

237
24/07/07

न्यायालय उपजिलाधिकारी, सदर, लखनऊ। नकल आदेश दिनांक 23-07-07 बाबत वाद संख्या-181/06-07 विवेक नागड़ी बनाम उ0प्र0 सरकार धारा-143 ZA LRAct ग्राम सलेमपुर पतौरा, परगना काकोरी तहसील व जिला, लखनऊ। निर्णीत दिनांक 23-07-07

प्रयोगोपरान्त कोलियां निरस्त किया जाता है। आदेश दिनांक 23-07-07 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।

न्यायालय उप जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट (सदर) लखनऊ

प्रबन्धक
सरदार भगत सिंह
एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट

अध्यक्ष
सरदार भगत सिंह
एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट

237
25/05/07

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर, लखनऊ।

वाद स0–181/06–07
विवेक तागड़ी
बनाम उ0प्र0 सरकार।
धारा–143 जेड0ए0एल0
आर0एक्ट।
ग्राम–सलेमपुर पतौरा, परगना
काकोरी, तहसील व जिला
लखनऊ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद कार्यवाही विवेक तागड़ी पुत्र सोमनाथ तागड़ी निवासी मोहल्ला बानवाली गली चौक शहर लखनऊ के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 जेड0ए0एल0आर0 एक्ट पर प्रारम्भ हुई जिसमें यह कहा गया कि प्रार्थी की भूमि खाता खतौनी कम संख्या 00083 गाटे की खसरा संख्या 609/2 रकबा 0.683 हे0 व खसरा संख्या 713क, रकबा 0.746हे0 कुल दो किता कुल रकबा 1.4290हे0 श्रेणी–क सं0भूमिधरी स्थित ग्राम सलेमपुर पतौरा परगना काकोरी त0व जिला लखनऊ का प्रार्थी कृषक मालिक कामिल व काबिज है उक्त भूमि का प्रयोग अब तक प्रार्थी कृषि कार्य में करता आया है और जैसा कि प्रार्थी ने ऊपर अंकित किया है। कागजात में भी कृषि अंकित है। प्रार्थी अपनी भूमि का प्रयोग व्यवसायिक करना चाहता है जिससे कि उक्त भूमि में कोई उद्योग लगाकर अधिक आय प्राप्त कर सके। जिसके लिये नियमानुसार कागजात देही में कृषि भूमि के स्थान पर व्यवसायिक अंकित किया जाना आवश्यक है। ताकि सुगमता से भूमि का प्रयोग व्यवसायिक कर सके और कागजात भी सही हो सके। वर्तमान समय में जिस प्रकार से भूमि का अंकन उल्लेख किया गया है मौके पर उसी प्रकार से भूमि हैं। प्रार्थी ने उक्त भूमि को किसी भी संस्था या बैंक या भूमि विकास बैंक आदि में बन्धक या हस्तान्तरित नही किया है और न ही उक्त किसी स्कीम आवास विकास

सचिव
सरदार भगत सिंह
एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट

2

अध्यक्ष
सरदार भगत सिंह
एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट

परिषद या लखनऊ विकास प्राधिकरण या डूडा/सूडा आदि में अधिग्रहण नही है। भूमि के संबंध में कोई भी विवाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नही है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का आबादी घोषित किया जाना आवश्यक है। अन्त में वादी द्वारा उक्त भूमि को आवासीय घोषित किये जाने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार सदर लखनऊ ने अपनी आख्या दिनांक 05.07.07 प्रस्तुत कर यह कहा है कि उक्त भूमि मोहान से सलेमपुर पतौरा सम्पर्क मार्ग पर स्थित है तथा छोटी बाउन्ड्री वाल से घिरी एवं काटे लगा है तथा लगभग 0.013हे0 पर आवासीय मकान बना है। जिसमें नौकर रहते है, शेष भूमि रिक्त पड़ी है। कृषि योग्य नहीं हो रहा है तथा पास पडोस में आवासी समिति द्वारा प्रत्येक भूखण्ड का विक्रय किया जा रहा है। अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी की गयी। प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी। वादी द्वारा उक्त भूमि को आवासीय घोषित किये जाने के संबंध में अपनी मौखिक बहस प्रस्तुत करते हुए उक्त भूमि आवासीय घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया तथा भूमि को आवासीय घोषित किये जाने के संबंध में ग्राम के दो गवाह राम पाल पुत्र स्व0 छोटे लाल निवासी सलेमपुर पतौरा एव विश्राम पुत्र स्व0 कालिका निवासीग्राम सलेमपुर पतौरा के साक्ष्य अंकित कराये गय एवं किसान बही की छाया प्रति दाखिल कराये गये। दोनो साक्ष्यों द्वारा अपने साक्ष्य में कहा गया है कि गाटा संख्या 609/2 रकबा 0.683हे0 तथा गाटा संख्या 713सं0 रकबा 0.746हे0 कुल दो किता रकबा 1.429हे0 है। इस भूमि पर लगभग 8 वर्ष से खेती नही हो रही है, मकान बना हुआ है। भूमि के चारो ओर बाउन्ड्री बनी है तथा एक बडा गेट भी लगा हुआ है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों साक्ष्यो एवं तहसीलदार सदर की आख्या एवं दोनो गवाहो के बयानों का सम्यक अवलोकन किया। तहसीलदार सदर लखनऊ ने भी अपनी आख्या में उक्त भूमि को आवासीय घोषित किये जाने की संस्तुतिकी है तथा दोनो गवाहो द्वारा अपने बयान मे कहा गया है कि उक्त भूमि पर लगभग 8 वर्ष से कृषि कार्य नही किया जा रहा है। मकान बना हुआ है। भूमि के चारो ओर बाउन्ड्री बनी है, बडा गेट लगा हुआ है। तहसीलदार सदर की आख्या एवं गवाहो के बयानों से स्पष्ट

प्रबन्धक
सरदार भगत सिंह
एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट

उप जिलाधिकारी (सदर) लखनऊ

सरदार भगत सिंह
एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट

23/
24/07/07

है कि उक्त भूमि को कृषि प्रयोजन से भिन्न अकृषिक घोषित किये जाने में कोई वैधिक बाधा नहीं है। अकृषिक किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः ग्राम सलेमपुर पतौरा, परगना काकोरी, तहसील व जिला लखनऊ स्थित भूमि गाटा संख्या 609/2 रकबा 0.683हे0 व 713सं0 रकबा 0.746हे0 कुल दो किता कुल रकबा 1.429हे0 भूमि को धारा 143 जेड0ए0आर0एक्ट के अन्तर्गत कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। अभिलेखों में अमलदरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर, लखनऊ को व पंजीयन हेतु आदेश की एक प्रति उप निबन्धन, लखनऊ को भेजी जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर

(अनूप कुमार)
उप जिलाधिकारी, सदर,
लखनऊ।

उपर्युक्त आदेश आज दिनांक 23-07-07 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित एवं खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(अनूप कुमार)
उप जिलाधिकारी, सदर,
लखनऊ।

नकल प्रार्थना-पत्र देने की तिथि: 24/07/07
नकल तैयार करने की तिथि: 24/07/07
नकल जारी करने की तिथि 25/07/07
तालाब शुल्क: 13.00
शब्दों की संख्या: 300 लगभग (छायाप्रति संलग्न)

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रतिलिपि कर्ता:
तुलनाकर्ता:
तिथि: 24/07/07

रीडर, 25/7/07
उप जिलाधिकारी/मैजिस्ट्रेट
(सदर) लखनऊ।

प्रबन्धक
सरदार भगत सिंह
एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट

अध्यक्ष
सरदार भगत सिंह
एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट

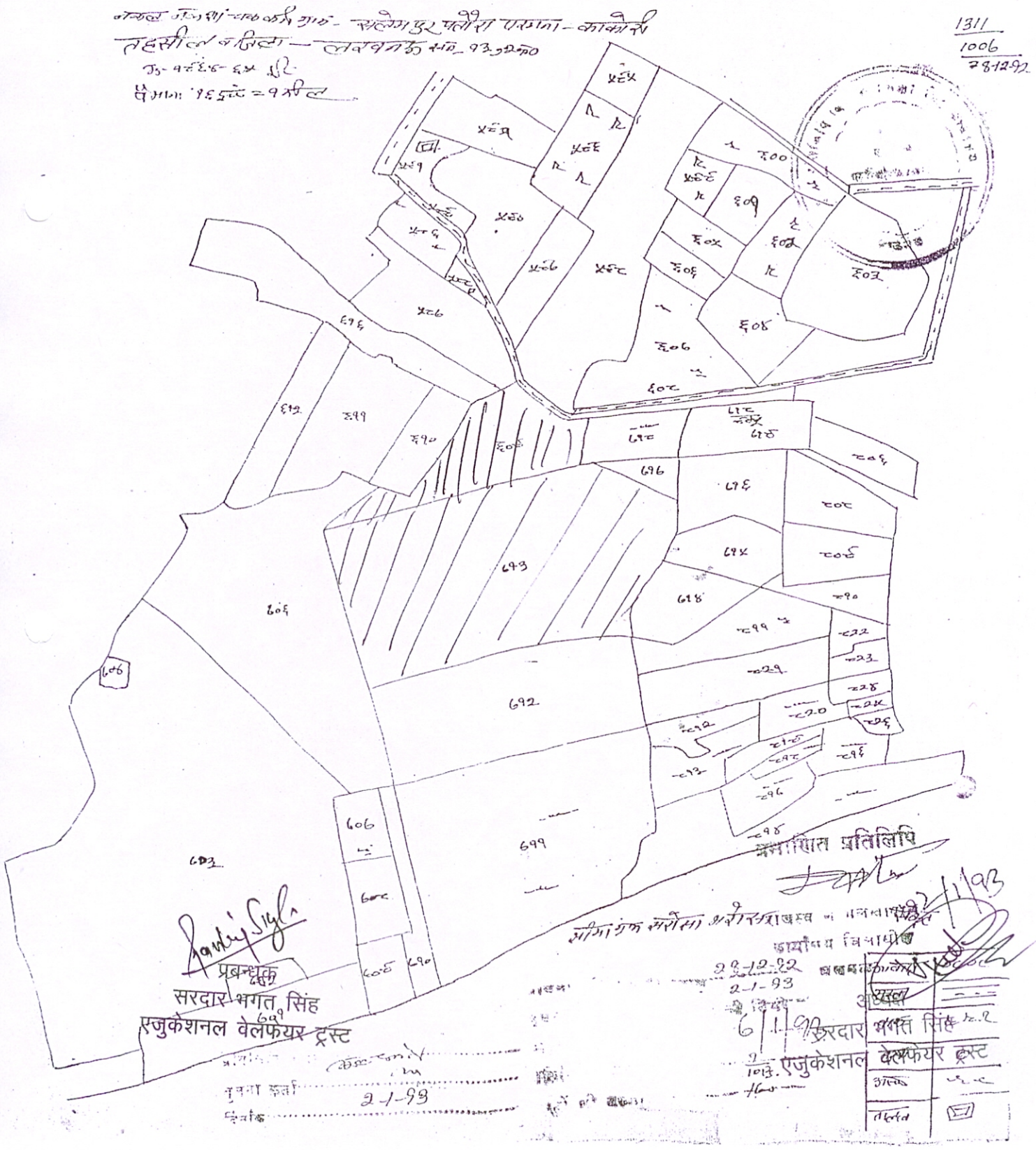

नकल खसरा ... ग्राम - अलीमपुर पतौरा परगना - काकोरी
तहसील व जिला - लखनऊ सन 13...
पैमाना: 16 इंच = 1 मील

1311
1006
7-8-12-92

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रबन्धक
सरदार भगत सिंह
एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट

23-12-92
2-1-93
6/1/93

सरदार भगत सिंह
एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट

2-1-93